तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./7241/2006/अलवर** **सीयाराम बनाम गोपाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री सी0पी0पारासर, अभिभाषक अपीलांट।
2– श्री रोहित सोनी, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक – 16.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान संभागीय आयुक्त, जयपुर दिनांक 26–09–2006 अपील सं0 02/2004 बउनवान सीयाराम बनाम गोपाल के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर मिसल हकियत सम्वत् 2046–65 में खाना खातेदारी में वर्तमान इन्द्राज को हजफ किया जाकर ख0सं0 219/0–65 सालिम व खसरा सं0 220 रकबा 2–30 मिन का रकबा 1–85 है0 वाके ग्राम नागल चन्देल का प्रार्थीगण को खातेदारी दर्ज की जावें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी सरकार को तलब किया जिन्होंने विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24–08–2001 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने विद्वान अपीलीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 26–09–2006 से अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर दी जिस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 7241 / 2006 / अलवर** **सीयाराम बनाम गोपाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय दिनांक 26-09-2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3- विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गयी।

4- अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विरूद्ध न्याय, नियम व रिकॉर्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा था अपीलांट ने काफी मेहनत करके आराजी को काबिल काश्त चला आ रहा है। रेस्पो0 का आराजी मुतनाजा पर कभी कब्जा नहीं था एवं ना ही आज है एवं ना ही आराजी मुतनाजा रेस्पो0 को कभी आवंटन हुयी बल्कि अपीलांट का उनके पूर्वजों के समय से सं0 2028 से पूर्व से कब्जा चला आ रहा है, जिसे नजरअन्दाज कर अपीलांट की खातेदारी के अंकन को निरस्त कर रेस्पो0 के नाम आराजी को दर्ज करने का आदेश प्रदान करने में भूल की है। आराजी मुतनाजा बाबत् तहसीलदार, राजगढ़ के यहां पर जो मुकदमा अनुवानी सरकार बनाम रामधन वगैरा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का आराजी मुतनाजा बाबत् चला जिसका निर्णय दिनांक 20-10-1992 को पारित किया गया जिसमें अपीलांट के पूर्वजों का आराजी मुतनाजा पर पुराना कब्जा होना मानकर नियमन की सिफारिश की, किन्तु अदालत तहत ने इस तथ्य को नरजअन्दाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 26-09-2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ का निर्णय दिनांक 24-08-2001 को निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया।

5- प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिये कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने रेस्पो0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 7241 / 2006 / अलवर** **सीयाराम बनाम गोपाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने भी अपने निर्णय दिनांक 26-09-2006 से अपीलार्थी की अपील सही खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निर्णय है जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्कता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें। 6- विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया। 7- विद्वान उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 24-08-2001 में अंकित किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। 8- विद्वान संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26-09-2006 में अंकित किया है कि अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। 9- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 24-08-2001 में अंकित किया है कि प्रस्तुत रिपोर्ट जमाबन्दी सम्वत् 2033-36, 2053-56 व मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2946-65 का अवलोकन किया गया। साथ ही तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में 0-96 ऐयर के खातेदार दर्ज हैं जो गत ख0सं0 97 से बने हैं, शेष रकबा 1-54 है0 की पूर्ति हेतु ख0सं0 170/0-26, 171/0-20, 219/0-65, 174/993 रकबा 0-25 पूर्ण रकबा एवं ख0सं0 220 में से 0-18 ऐयर तरफ उत्तर पश्चिम जो कि गत ख0सं0 97 से बने हैं, साबिक के अनुसार हाल रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं। इसी प्रकार का हाल रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 7241 / 2006 / अलवर** **सीयाराम बनाम गोपाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10– विद्वान सम्भागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26–09–2006 में अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट का रकबा कम था जिसे तहसीलदार ने स्वीकार करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है। रेस्पोडेन्ट के रकबे की पूर्ति का अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए अपील अस्वीकार की है, जो उचित है।

11– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

12– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य